राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 6/2006 से 3/2015

वर्तमान लेखा परीक्षा

राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का प्रथम अंकक्षण अवधि 6/2006 से 3/2015 तक श्री अनिल शर्मा और श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.8.2015 से 19.9.2015 तक आनी, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में किया गया। आय और व्यय के लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाये गए अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए।

वर्ष	आय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास	व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास
2006—07	9/2006	9/2006
2007—08	6/2007	11/2007
2008—09	7/2008	12/2008
2009—10	6/2009	12/2009
2010—11	6/2010	12/2010
2011—12	6/2011	12/2011
2012—13	6/2012	12/2012
2013—14	6/2013	9/2013
2014—15	6/2014	9/2014

''वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एंव अभिलेखों के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।''

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य/आहरण एवं संवितरण अधिकारी तैनात थे :

क्रम संख्या	प्राचार्य एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	तैनाती की अवधि
1	Dr. M.S. Negi (Officiating)	27.6.2006 से 28.8.2006
2	Dr. Amar Dev	29.8.2006 से 9.4.2008
3	Dr. N.S. Chandel (Officiating)	10.4.2008 से 2.11.2008

4	Dr. Amarjeet. K. Sharma	3.11.2008 से 1.1.2009
5	Dr. N.S. Chandel (Officiating)	2.1.2009 से 17.6.2009
6	K.C. Sharma	18.6.2009 से 5.5.2012
7	Dr. G.R. Negi (Officiating)	6.5.2012 से 31.7.2012
8	Dr. M.S. Negi	1.8.2012 से 2.4.2013
9	Dr. G.R. Negi (Officiating)	3.4.2013 से 8.5.2013
10	Dr. N.L. Sharma	9.5.2013 से 6.4.2015
11	Dr. S.K. Negi (Officiating)	7.4.2015 से 10.7.2015
12	Dr. R.K. Kaistha	11.7.2015 से 31.3.2015

1 अंकेक्षण शुल्क

राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश लेखाओं अवधि 6/2006 से 3/2015 तक का अंकेक्षण करने का शुल्क राशि ₹63,000 बनता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्याः 117/2015, दिनांक 19.9.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

Year	Funds Receipt	Sanchayika Receipt	Total	Audit Fee
2006-07	91,522	0.00	91,522	5,000
2007-08	1,14,933	3,320	1,18,253	5,000
2008-09	1,92,052	4,920	1,96,972	5,000
2009-10	2,28,215	6,940	2,35,155	8,000
2010-11	4,73,246	8,880	4,82,126	8,000
2011-12	5,72,159	10,380	5,82,539	8,000
2012-13	5,04,756	8,000	5,12,756	8,000
2013-14	6,84,141	9,380	6,93,521	8,000
2014-15	9,12,310	15,480	9,27,790	8,000
Total	**37,73,334**	**67,300**	**38,40,634**	**63,000**

2 वित्तीय स्थिति

राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 6/2006 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है इसके अतिरिक्त छात्र निधिवार विवरण **परिशिष्ट–"क", पृष्ठ 1 से 12** पर दिया गया है।

Financial Position

Year	Opening Balance	Total Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2006-07	0.00	91,522	536	92,058	57,805	34,253
2007-08	34,253	1,14,933	857	1,50,043	77,306	72,737
2008-09	72,737	1,92,052	7,703	2,72,492	75,778	1,96,714
2009-10	1,96,714	2,28,215	8,797	4,33,726	1,36,112	2,97,614
2010-11	2,97,614	4,73,246	12,120	7,82,980	86,818	6,96,162
2011-12	6,96,162	5,72,159	46,836	13,15,157	1,13,746	12,01,411
2012-13	12,01,411	5,04,756	59,802	17,65,969	3,10,575	14,55,394
2013-14	14,55,394	6,84,141	64,282	22,03,817	7,55,012	14,48,805
2014-15	14,48,805	9,12,310	80,030	24,41,145	4,69,612	19,71,533

प्रधानाचार्य महोदय ने अंकेक्षण को सूचित किया कि

(i) छात्र निधि एवं संचायिका की किसी भी राशि को अवधि 6/2006 से 3/2015 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश नही किया गया है।

(ii) Library Security की जमा राशि में से अवधि 6/2006 से 3/2015 के दौरान किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही किया गया है।

(iii) Furniture Repair Fund और Book Replace Fund को एक ही बैंक खाते में जमा करवाया गया है साथ ही इन निधियों के आय–व्यय का लेखांकन एक ही रोकड़ बही मे किया गया है।

(iv) अवधि 6/2006 से 3/2015 के दौरान Stock & Store का किसी भी प्रकार से Physical Verification नहीं किया गया है।

3 निवेश

राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) के प्रधानाचार्य महोदय ने अंकेक्षण को सूचित किया कि लेखा अवधि 6/2006 से 3/2015 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा योजना मे निवेश नही किया गया था। अतः दिन प्रतिदिन की वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर छात्र निधि में एकत्रित राशि का उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाए तथा शेष राशि को सावधि जमा योजना मे निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4 विश्वविद्यालय निधि में दिनांक 31.3.2015 तक अन्तिम शेष ₹2,08,111 बारे

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क/स्थानांतरण शुल्क, खेलकूद फीस, युवा कल्याण शुल्क, विश्वविद्यालय अवकाश गृह शुल्क व परीक्षा शुल्क छात्रों से वसूल की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा केवल उन्ही छात्रों से प्राप्त शुल्कों का भुगतान विश्वविद्यालय को किया जा रहा है जिन विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए फार्म भरे गए थे तथा शेष विद्यार्थियों जिन्होंने परीक्षा में बैठने के लिए फार्म नहीं भरे थे, उन छात्रों से प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान नही किया गया था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष विश्वविद्यालय के पक्ष मे प्राप्त शुल्क संचय होकर दिनांक 31.3.2015 तक महाविद्यालय के खाते में निम्न राशि जमा थी।

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय के पक्ष में प्राप्त शुल्क का नाम	राशि (₹)
1	HPU Registration Fee/Continue Fee	15,020
2	HPU Sports Fee	15,023
3	HPU Youth Welfare Fee	15023
4	HPU Examination Fee	19,187
5	HPU Holiday Home Fee	3,629
6	HPU Student National Welfare Fee	5,864
7	HPU Development Fee	1,13,080
8	Cost of Registration Form	5,512
9	Student Cultural Activity Fund	15,773
	Total	**2,08,111**

अतः उपरोक्त ₹2,08,111 की राशि को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अग्रेषित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और भविष्य में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के पक्ष में प्राप्त शुल्क का विश्वविद्यालय को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

5 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹90,790 की राशि जमा थी। परन्तु कॉलेज प्रशासन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार न किए जाने के परिणाम स्वरूप यह मालूम नहीं किया जा सका कि उक्त निधि में जमा राशि, किन–किन छात्रों द्वारा जमा करवाई गई थी या वर्षवार जमा राशि की क्या स्थिति थी?

पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः ईडीएन–एच(8)बी(4)28/08–बजट–लिब., दिनांक 26.3.2009 के अनुसार यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के दो वर्षों के भीतर पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि वापिस लेने हेतु आवेदन न करने की अवस्था में पुस्तकालय प्रतिभूति की राशि को जब्त करने का प्रावधान है तथा जब्त राशि का प्रयोग कालेज पुस्तकालय के विकास के लिए किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने के कारण यह जाँच नहीं की जा सकी कि किस–किस छात्र की पुस्तकालय प्रतिभूति जब्त की जानी थी। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति निधि का रजिस्टर तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व गत वर्षों का पुस्तकालय प्रतिभूति निधि रजिस्टर तुरन्त प्रभाव से तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए और पुस्तकालय प्रतिभूति की जब्त राशि को उपरोक्त पत्र में दिए निर्देशों अनुसार उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए, कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 छात्रों से विभिन्न निधियों एवं शुल्क की ₹28,180 की राशि की कम वसूली

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों से सम्बन्धित अभिलेखों जैसे कि निधि संग्रह रजिस्टर, रोकड़ बही इत्यादि की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न निधियों के सम्बन्ध मे विद्यार्थियों से निधियों की कम वसूली की गई थी। इस प्रकार कुल ₹28,180 की राशि की कम वसूली विद्यार्थियों से की गई थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। इस सम्बन्ध मे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 96/2015, दिनांक 19.8.2015 के द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यार्थियों से विभिन्न निधियों की कम वसूली बारे आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः विद्यार्थियों से कम वसूली गई ₹28,180 की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधियों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए और हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही छात्रों से निधियों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

छात्रों से कम वसूली गई ₹28,180 की राशि का विवरण

Name of Fund	Period	No. of Student	Admissible Rate of Fees	Total Amount Fund due from Students	Actual Amount of Fees taken from Students	Less Receipt of Funds
Book Replacement Fund	26-6-2006 to 31-3-2007	118	25	2950	0	2950

Book Replacement Fund Furniture Repair Fund	1-4-2007 to 31-3-2008	166	35	5810	4150	1660
Book Replacement Fund Furniture Repair Fund	1-4-2008 to 31-3-2009	243	35	8505	6280	2225
Book Replacement Fund Furniture Repair Fund	1-4-2009 to 31-3-2010	345	35	12075	8975	3100
House Examination Fees	1-4-2014 to 31-3-2015	604	80	48320	30075	18245
					Total	**28180**

7 महाविद्यालय के विद्यार्थियों से HPU Student National Welfare Fee के रूप में ₹3439 की राशि की अनाधिकृत वसूली

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त विभिन्न निधियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विद्यार्थियों से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित निधियों के अतिरिक्त HPU Student National Welfare Fee निधि शीर्षक के अन्तर्गत राशि की अनाधिकृत वसूली की गई थी। वसूल की गई निधि का विवरण निम्न दिया गया हैं इस प्रकार अवधि 4/2006 से 3/2015 तक कुल ₹3439 की राशि महाविद्यालय के विद्यार्थियों से वसूली गई थी। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित छात्र निधियों के अतिरिक्त HPU Student National Welfare Fee निधि के अन्तर्गत विद्यार्थियों से वसूली गई कुल ₹3439 की राशि को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के विद्यार्थियों से इस अनाधिकृत निधि शीर्षक के अन्तर्गत वसूली को तुरन्त प्रभाव से रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।

Detail of Unauthorized Collection Fund From Students

Name of Fund	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**Total**
HPU Student National Welfare Fee	115	167	259	359	445	576	425	490	603	3439

8 छात्रों से एकत्रित निधियों ₹1,01,155 की राशि को देरी से बैंक खातों में जमा करवाने बारे

विद्यार्थियों से एकत्रित विभिन्न निधियों की पड़ताल में पाया गया कि विद्यार्थियों से एकत्रित ₹1,01,155 की राशि को देरी से बैंक खातों एवं सरकारी राजकोष मे जमा करवाया गया था। इस प्रकार देरी से निधियों को सम्बन्धित बैंक खातों एवं सरकारी राजकोष मे जमा करवाने से जहां एक और ब्याज की हानि हुई वहीं दूसरी और एकत्रित राशि के अल्प अवधि के

लिए दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। देरी से जमा करवाई गई राशि का विवरण निम्न दिया गया है। अतः एकत्रित निधियों को राशि एकत्रित करने के दिन को या उसके दूसरे दिन बैंक खातों में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए और भविष्य में एकत्रित राशि को सम्बन्धित बैंक खातों में देरी से जमा करवाने की चूक से परिहार किया जाए।

निधि का नाम	राशि एकत्रित करने की तिथि	एकत्रित राशि	एकत्रित राशि को बैंक खातों/सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि
All Funds	12-6-2007 to 18-6-2007	15,981	19-6-2007
All Funds	20-7-2007	4,441	8-8-2007
All Funds	17-8-2007	28,434	24-8-2007
Tution Fees (Govt. Fees)	12-10-2007	11,100	20-10-2007
Tution Fees (Govt. Fees)	20-10-2007	1,800	30-10-2007
All Funds	24-06-2008 to 28-06-2008	27,697	1-7-2008
All Funds	9-7-2008 to 12-7-2008	9,137	16-7-2008
Tution Fees (Govt. Fees)	9-7-2008 to 12-7-2008	2,565	16-7-2008
	Total	**1,01,155**	

9 अवधि 9/2006 से 3/2010 के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा अनुपस्थिति निधि की वसूली न किया जाना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्याः EDN-A-GA(18)1/99, dated 17-6-2000 के अनुसार छात्रों के कक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में छात्रों से ₹1.00 प्रति पीरियड की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी। परन्तु अनुपस्थिति निधि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 9/2006 से 3/2010 के दौरान महाविद्यालय के छात्रों से अनुपस्थिति निधि की वसूली नहीं की गई थी। इस बारे में प्रधानाचार्य महोदय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 105/2015, दिनांक 19.8.2015 से उपरोक्त अवधि की Student Absentee Statement आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्याः EDN-GCA/Local Audit/-dated: 18-9-2015 से सूचित किया कि अवधि 9/2006 से 3/2010 के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अनुपस्थिति निधि की वसूली नहीं की गई थी।

अतः अवधि 9/2006 से 3/2010 के दौरान कक्षा मे अनुपस्थिति छात्रों से अनुपस्थिति निधि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इस बारे में विभागीय स्तर पर उचित छानबीन के उपरान्त न वसूली गई अनुपस्थिति निधि की वसूली उचित स्त्रोत से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 शिक्षण शुल्क ₹300 को सरकारी कोष में जमा न करने बारे

शिक्षण शुल्क के अन्तर्गत विद्यार्थियों से एकत्रित आय और सरकारी कोष मे विभिन्न कार्य दिवसों को जमा करवाई गई राशियों का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान विद्यार्थियों से एकत्रित शिक्षण शुल्क में से ₹300 की राशि को दिनांक 31.3.2015 तक सरकारी कोष मे जमा नहीं करवाया गया था। एकत्रित राशि का विवरण निम्न दिया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान एकत्रित राशि को दिनांक 31.3.2015 तक सरकारी कोष में जमा न करवाया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। भविष्य में एकत्रित सभी राशियों को अगले कार्य दिवसों के दौरान सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of Tution Fee Collection From Students but not deposited in Govt. Treasury Account till 31-3-2015

Receipt No./ Date	Name of Student	Class	Amount Collected
0073737/27-6-2013	Chanderesh Kumari	BA-I	300
		Total	**300**

11 मिश्रित निधि की रोकड़ बही मे अनियमित रूप से महाविद्यालय कैंटीन से सम्बन्धित आय एवं व्यय लेखांकन किए जाने बारे

मिश्रित निधि की रोकड़ बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि निधि की रोकड़ बही में ₹27,318 की आय और ₹14,350 के व्यय का अनियमित रूप से लेखांकन किया गया था। इस आय व्यय का विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर संलग्न किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह आय महाविद्यालय की कैंटीन के किराये से सम्बन्धित थी। यह आय और व्यय किसी भी रूप से मिश्रित निधि से सम्बन्धित नहीं था। अतः महाविद्यालय की कैंटीन के किराये से सम्बन्धित आय और व्यय जो किसी भी रूप में मिश्रित निधि से सम्बन्धित नहीं था को निधि की रोकड़ बही में लेखांकन करने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में निधि की रोकड़ बही मे केवल निधि से सम्बन्धित आय व्यय का ही लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 आहरण एवं वितरण अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹43,193.50 का भुगतान करना

विभिन्न व्यय वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न व्यय वाऊचरों को भुगतान करने से पूर्व, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। व्यय वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः ₹43,193.50 की राशि के व्यय वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही इन व्यय वाऊचरों को वर्तमान में सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी व्यय वाऊचरों को आहरण एंव वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detail of Billl/Voucher not verified by the Principal/Drawing and Disbursing Officer

Name of Fund	Voucher No. /Date	CB P.No.	Amount	To whom Paid
Fine Fund	1/3, 2/2013		14,000	M/s Jalpa Sweet Shop Anni, Bill No. 234 dt. 29-2-2013 for purchase of Refreshment for Students in Annual Function
	2/8, 2/2013		4,500	M/s Sharma Light & Tent House for Tent etc.
Sports Fund	9/1, 2/2013	43	2,756	M/s Wear & Win Chandigarh for purchase of 7 Memantos @ 350 + Vat = 2756.25
Student Culture Activaty Fund	13/4, 2/2013	47 & 48	16,785	M/s Wear & Win Chandigarh for purchase of 62 Memantos (12 @ 250, 46 @ 240, 4 @ 220) + Vat = 16,785
	Nil, 2/2013	47 & 48	5152.50	M/s Wear & Win Chandigarh for Purchase of 11 Memantos (4 @ 480] 7 @ 380) + Vat = 5152.50
		Total	**43,193.50**	

13 औपचारिक्ताओं को पूर्ण किए बिना छात्र निधियों से ₹33,154 की राशि का अनियमित भुगतान

छात्र निधियों से किए गए विभिन्न व्ययों जिनका विवरण निम्न दिया गया है के सम्बन्ध में अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि इन भुगतानों को करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई निविदा इत्यादि खुले बाजार से आमंत्रित नहीं की गई थी, जिससे बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। अतः व्यय करने से पूर्व खुले बाजार से निविदा इत्यादि आमंत्रित न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। भविष्य मे निधियों का प्रयोग करने से पूर्व बाजार से निविदा इत्यादि आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

व्यय का विवरण

Name of Fund	Vr. No./ Dt.	CB P.No.	Amount	Detail of Payment
Amalgamated Fund	33/17-11-2007	18	4199	Payment made to M/S Chandermati Associates, Kangra Bill No. 1745 dt. Nil for Purchase of 2 Boxes Shuttle Cock @114=228, 3 No. Volley Ball @ 260.30= 780, 6 No. Cricket Ball @ 83.60=501.60, 3 Pair Batting Leg @ 660.25 = 1980.75, 1 Pair WK Leg Gurard@ 546.25=546.25 + VAT @ 4%
Amalgamated Fund	35] 17-11-2007	18	4850	Payment made to Ms Rajdhani Sports Shimla BillNo. 002, Dt. Nil for Purchase of 6 No. Badminton Racket @ 133=798, 1 No. Badminton Net @159.60 = 159.60, 3 No. Cricket Bat @ 655.50=1966.50, 3 Pair Batting Gloves @ 375.25=1125.75, 3 No. Cricket Abdonal Guard @

				35.15 = 105.45, 1 Pair W.K. Gloves @ 508.25=508.25 + VAT @4%
Amalgamated Fund	1, 03-12-2009	51	15389	Payment made to Ms Kirpal General Store, Karsog, Bill No Nil, Dt. Nil for Purchase of 5 No. Cricket Bat = 3865, 6 No. Cricket Ball = 960, 10 No. Abdonal Gurard = 280, 1 Pair WK Gloves 1200, 5 No. Batting Gloves = 1200, 5 No. Volley Ball = 2650, 5 No. Foot Ball = 1950, 1 No. Volley Ball Net = 565, 10 No. Badminton Racket = 1980 + VAT @ 4%
House Examination Fund	04/2011, 12-12-2011	35	8716	Payment made to Ms ICA Anni Bill No. 1039, dt. 12-12-2011 for Purchase of Master Print 36 @ 25= 900, Photostate QP 3909 @ 2-00= 7816
		Total	**33,154**	

14 विभिन्न निधियों से खरीदी गई विभिन्न मदों की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न किए जाने बारे

विभिन्न छात्र निधियों से सम्बन्धित विभिन्न व्ययों की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि छात्र निधियों से खरीदे गए विभिन्न मदों की स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गई थी। ऐसे सभी सामान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। खरीदे गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः खरीदे गए सामान की प्रविष्टि सम्बन्धित स्टॉक पंजिका में न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही उचित छानबीन के उपरान्त स्टॉक पंजिका में प्रविष्टि न किए सामान की प्रविष्टि वर्तमान में की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of Fund	Vr. No./ Dt.	CB P.No.	Amount	Detail of Payment		
House Examination Fund	02/02, 31-7-2008	12	1895	Payment made to M/s Seraj Printing For Bill no. 326 dt. 7-12-2007		
				Answer Sheets	3000 No.	960
				Photostate	35 No.	35
				QP BA-I	110 No.	125
				QP BA-I Hindi	70 No.	85
				QP BA-I Hindi	100 No.	115
				QP BA-I History	70 No.	85
				QP BA-I Political	70 No.	85
				QP BA-II Eng	80 No.	95
				QP BA-II Hindi	50 No.	65
				QP BA-II History	40 No.	55
				QP BA-II Political	60 No.	75
				QP BA-II Hindi	100 No.	115
House Examinatin Fund	02/02, 31-7-2008	12	355	Payment made to M/S Vijay Book Centre for Bill No. 38 dt. 1-12-2007		
				Rolled Paper	1 Rim	180
				White Paper	1 Rim	10
				File Cover	3 No.	15
				Roll Thread	1	10
				Ball Pen	5 No.	50
				Ball Pen Blue	3 No.	30
				Register Rolled	1 No.	45
				Stamp Pad	1 No.	15
Amalgamated Fund	83, Nil	50	540	Payment made to M/s Himachal Sports Corner, Rampur for Bill no. 4685, dt. 3-12-2009		
				Cricket Ball	1	540

Amalgamated Fund	Nil, Nil		360	Payment made to M/s Himachal Sports Corner, Rampur for Bill no. 4483, dt. 3-12-2009 Abdonal Guard 2 No. 240 Leg Bull F/P 1 No. 100 Keeping Inner Gloves 1 Pair 20
House Examination Fund	4	35	8716	Payment made to M/s ICA, Anni, Bill No. 1039, dt. 12-12-2011 Master Print 36 No. 900 Photostate QP 3908 No. 7816
House Examination Fund	3	35	500	Payment made to M/s Shiv Shankar, Bill No. 1579, dt. 6-12-2011 Paper White 2 Rim 500
House Examination Fund	5	35	710	Payment made to M/s Bhardwaj Book & Stationery Seller, Anni, Bill No. 6912, dt. 14-12-2011 Paper A4 2 Rim 344 Outline Map 3 Pad 105 Refil red 12 No. 60

15 कार्यालय व्यय हेतु मिश्रित निधि से ₹21,935 की राशि का अनाधिकृत हस्तांतरण

मिश्रित निधि का प्रयोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रथम अध्यादेश 1973–खण्ड–2 के अध्याय XLII में वण्रित उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाना अपेक्षित था। मिश्रित निधि की रोकड़ बही की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कार्यालय के बिजली के बिलों एवं दूरभाष के बिलों का भुगतान करने हेतु मिश्रित निधि में से निम्न दिनांक/मासों के दौरान ऋण लिया गया था यद्यपि निधि से लिए गए ऋण को विभिन्न कार्य दिवसों को वापिस किया गया था परन्तु उपरोक्त वर्णित अध्यादेश में निधि से कार्यालय के बिजली एवं दूरभाष के बिलों का भुगतान करने के लिए ऋण लेने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार मिश्रित निधि का प्रयोग अनियमित रूप से कार्यालय के बिजली एवं दूरभाष के बिलों का भुगतान करने के लिए किया गया। अतः कार्यालय के बिजली एवं दूरभाष के बिलों का भुगतान करने के लिए मिश्रित

निधि से ऋण लेने को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही भविष्य में कार्यालय के बिजली एवं दूरभाष के बिलों का भुगतान करने के लिए मिश्रित निधि से ऋण लेने से परिहार किया जाए।

मिश्रित निधि में से किए गए ऋण एवं वापसी का विवरण

ऋण लेने का विवरण				ऋण वापसी का विवरण		
क्र0 सं0	बैंक चैक सं0/ दिनांक	राशि	ऋण का उद्देश्य	क्र0 सं0	दिनाक	राशि
1	492207/18.9.2007	3500	For payment to Electricity Bill	1	26.5.2008	2750
					4.6.2008	750
2	492210/16.11.2007	5737	For Payment of Telephone Bill	2	22.12.2008	2447
					22.12.2008	3290
3	492213/7.2.2008	2198	For Payment of Telephone Bill	3	22.12.2008	2198
4	492215/20.3.2008	2987	For Payment of Telephone Bill	4	22.12.2008	2987
5	492217/21.5.2008	2860	For Payment of telephone Bill	5	22.12.2008	2860
6	492220/29.7.2008	1219	For Payment of Telephone Bill	6	22.12.2008	1219
7	168252/4.3.2010	1394	For Payment of Telephone Bill	7	2.8.2010	1394
8	168253/30.3.2010	1204	For Payment of Electricity Bill	8	2.8.2010	1204
9	168257/4.6.2010	836	For Payment of Electricity Bill	9	2.8.2010	836
	Total	**21,935**			**Total**	**21,935**

16 निधियों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जाना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था तथा स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर कई प्रकार के सामान की स्टॉक प्रविष्टि की गई थी। साथ ही स्पोर्टस के विभिन्न सामान जिनमें से कुछ का विवरण निम्न दिया गया है को

ही एक दिन जारी दर्शा कर अन्तिम शेष शून्य दर्शाया गया था। जो कि अनियमित है। अतः विभिन्न निधियों से क्रय किए गए सामान को निधि अनुसार स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही स्पोर्टस निधि में सामान की खपत शून्य न दर्शा कर "Serviceable" और "Unserviceable" के रूप में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	Name of Sports item	Stock Register page No.	Receipt	Issue	Balance
5-11-2007	Volley Ball	1	3	3	Nil
26-11-2009	Volley Ball	1	5	5	Nil
5-11-2007	Cricket Ball	3	6	6	Nil
26-11-2009	Cricket Ball	3	12	12	Nil
5-11-2007	Stamps & Bails	4	6	6	Nil
Nil	Batting Leg Guard	5	3 Pair	3 Pair	Nil
Nil	Batting Gloves	5	3 Pair	3 Pair	Nil
Nil	Batting Leg Guard	5	4 Pair	4 Pair	Nil
Nil	Batting Gloves	5	5 Pair	5 Pair	Nil
5-11-2007	Wicket Keeping Leg Guard	6	1 Pair	1 Pair	Nil
5-11-2007	Wicket Keeping Gloves	6	1 Pair	1 Pair	Nil
26-11-2009	Wicket Keeping Leg Guard	6	1 Pair	1 Pair	Nil
26-11-2009	Wicket Keeping Gloves	6	2 Pair	2 Pair	Nil
Nil	Cricket Bat	7	3	3	Nil
Nil	Abdonal Guard	7	3	3	Nil
26-11-2009	Cricket Bat	7	5	5	Nil
26-11-2009	Abdonal Guard	7	10	5	5
26-11-2009	Cricket Bat	7	2	2	Nil

17 विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न किया जाना

नियमानुसार प्रत्येक शिक्षण संस्था के मुखिया द्वारा विभिन्न निधियों के स्टॉक रजिस्टरों में लेखांकित सामान का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य हैं विभिनन निधियेां के स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि अवधि 4/2006 से 3/2015 के दौरान किसी भी वर्ष के लिए संस्था के मुखिया द्वारा स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। अतः स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए साथ ही भविष्य में स्टॉक रजिस्टर मे लेखांकित सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 रसीद बुकें

छात्रों से विभिन्न निधियों को प्राप्त करने हेतु समय–समय पर रसीद बुकें छपवाई गई थी जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा रसीद बुकों से सम्बन्धित कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया था। अतः रसीद बुकों की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करके उपयोगनुसार जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही खाली (Blank) रखी गई रसीदों को संस्था के मुखिया द्वारा रद् (Cancel) किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

19 लघु आपति विवरणिका :– लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटार अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

20 निष्कर्ष :– महाविद्यालय के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(iii)104/10–खण्ड–1–1403–1405 दिनांकः26.02.2016
शिमला–09

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1) निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
2) उप निदेशक, शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) विभाग कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

पंजीकृत 3) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर एक माह के भीतर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर शीघ्र इस विभाग को भेजें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009